बिहार सरकार
ग्रामीण विकास विभाग

संकल्प

विषयः— **प्रखंड—सह—अंचल कार्यालयों एवं परिसर की साफ—सफाई बिहार ग्रामीण जीविकोपार्जन प्रोत्साहन समिति(जीविका) द्वारा संपोषित सामुदायिक संगठनों के माध्यम से किये जाने की स्वीकृति के संबंध में।**

राज्य में प्रखंड—सह—अंचल कार्यालय प्रशासनिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। विकास से संबंधित महत्वपूर्ण जन कल्याणकारी योजनाओं का कार्यान्वयन तथा राजस्व एवं भूमि सुधार से संबंधित कार्यों का निष्पादन प्रखंड—सह—अंचल कार्यालय में किया जाता है। जिसके कारण प्रखंड—सह—अंचल कार्यालयों में आम—जनों का आना—जाना अधिक रहता है । प्रखंड—सह—अंचल कार्यालयों में साफ—सफाई की समुचित व्यवस्था का प्रबंधन नहीं होने से गंदगी फैलती है। इससे संबंधित कार्यालयों में कार्य करने वाले कर्मियों के साथ—साथ कार्यालय आने वाले आम—जनों में भी बीमारी होने का डर रहता है। साथ ही साथ कर्मचारियों के कार्य हेतु उचित वातावरण नहीं मिल पाता है। प्रखंड—सह—अंचल कार्यालयों में उचित साफ—सफाई की व्यवस्था होने से वहाँ कार्य करने वाले कर्मियों को स्वच्छ वातावरण मिलेगा। इससे उनकी कार्य निष्पादन क्षमता बढ़ेगी। कार्यालय में आने वाले आगन्तुकों पर साफ—सफाई के प्रति सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा।

2. प्रखंड—सह—अंचल कार्यालय भवन की साफ—सफाई हेतु संबंधित जिलों से कुल क्षेत्रफल (आवासीय क्षेत्रफल को छोड़कर) उपलब्ध कराया गया। जिला स्तर से प्रखंड—सह—अंचल कार्यालय का उपलब्ध कराये गये क्षेत्रफल 25000(पच्चीस हजार) वर्गफीट से कम रहने पर जिला स्तर से उपलब्ध कराए गये क्षेत्रफल तथा 25000(पच्चीस हजार) वर्गफीट से अधिक रहने की स्थिति में अधिकतम 25000(पच्चीस हजार) वर्गफीट क्षेत्रफल मानते हुए राशि की गणना की गई है।

इस प्रकार 534 प्रखंडों में साफ—सफाई हेतु कुल अनुमानित क्षेत्रफल (आवासीय क्षेत्रफल को छोड़कर) 10377787.5 वर्ग फीट अथवा 964129 (नौ लाख चौसठ हजार एक सौ उन्नतीस) वर्ग मीटर है।

3. प्रखंड—सह—अंचल कार्यालय भवन की साफ—सफाई हेतु बिहार ग्रामीण जीविकोपार्जन प्रोत्साहन समिति द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्ताव 80 पैसे प्रति वर्गमीटर

प्रतिदिन एवं वाह्य परिसर (भवनों के अतिरिक्त) की साफ–सफाई कार्य हेतु एकमुश्त 12000/–(बारह हजार) रुपया प्रतिमाह का दर निर्धारित किया गया है।

उक्त प्राप्त दर के अनुसार प्रखंड–सह–अंचल कार्यालय भवन की साफ–सफाई हेतु 964129 × 0.80 = 771303/–(सात लाख एकहत्तर हजार तीन सौ तीन) रुपये प्रति दिन अर्थात् 771303 × 26 = 20053878/– (दो करोड़ तिरपन हजार आठ सौ अठहत्तर) रुपये प्रति माह (26 दिन) का अनुमानित व्यय होगा। वैसे प्रखंड जहां प्रखंड–सह–अंचल कार्यालय भवन की साफ–सफाई हेतु व्ययगत राशि प्रति माह 12000/– (बारह हजार) रुपये से कम है, उन प्रखंडों के लिए न्यूनतम 12000/– (बारह हजार) रुपये निर्धारित किया गया है।

इस प्रकार राज्य के सभी प्रखंड–सह–अंचल कार्यालय भवन की साफ–सफाई पर राशि 2,01,96,704/–(दो करोड़ एक लाख छियानवे हजार सात सौ चार) रुपये मासिक व्यय आकलित है।

प्रखंड–सह–अंचल कार्यालय के परिसरों की साफ–सफाई हेतु प्रति माह 12,000/– रुपये की दर से 12,000/– × 534 = 64,08,000/– (चौसठ लाख आठ हजार) रुपये प्रति माह का व्यय होगा।

इसके अतिरिक्त साफ–सफाई हेतु आवश्यक सामग्री के क्रय पर 3,000/– रुपये प्रति माह का व्यय आकलित है । इस प्रकार इनके क्रय पर 3,000/– × 534 = 16,02,000/– (सोलह लाख दो हजार) रुपये प्रति माह का व्यय होगा।

इस प्रकार राज्य के सभी प्रखंड–सह–अंचल कार्यालय भवन एवं परिसरों की साफ–सफाई पर कुल राशि (2,01,96,704/– + 64,08,000/– + 16,02,000/–) = 28206704/– (दो करोड़ बेरासी लाख छः हजार सात सौ चार) रुपये प्रति माह अर्थात् 28206704/– × 12 = 33,84,80,448/– (तैंतीस करोड़ चौरासी लाख अस्सी हजार चार सौ अड़तालिस) रुपये प्रति वर्ष व्यय होगा।

4. उपर्युक्त के आलोक में निम्न कार्रवाई की जायेगीः–

(क) प्रखंड–सह–अंचल कार्यालय एवं परिसर की साफ–सफाई बिहार ग्रामीण जीविकोपार्जन प्रोत्साहन समिति(जीविका) द्वारा संपोषित सामुदायिक संगठन के माध्यम से किया जाएगा।

(ख) व्यय का वहन प्रखंड कार्यालय द्वारा विभागीय मांग संख्या–42, मुख्य शीर्ष –2515 अन्य ग्राम विकास कार्यक्रम, उप मुख्य शीर्ष –00 लघु शीर्ष–001 –निदेशन तथा प्रशासन, उप शीर्ष–0010–प्रखंड स्थापना, 28–02–संविदा सेवाएं विपत्र कोड–42–2515000010010 मद से किया जाएगा।

(ग) राशि का भुगतान प्रखंड–सह–अंचल कार्यालय भवन के क्षेत्रफल के आधार पर (अधिकतम 25000 वर्गफीट) प्रतिमाह बिहार ग्रामीण जीविकोपार्जन प्रोत्साहन समिति द्वारा संपोषित सामुदायिक संगठनों को किया जाएगा।

(घ) राज्य के 534 प्रखंडों के लिए कुल राशि 33,84,80,448/– (तैंतीस करोड़ चौरासी लाख अस्सी हजार चार सौ अड़तालिस) रुपये प्रति वर्ष व्यय होगा।

(ड.) योजना का कार्यान्वयन वित्तीय वर्ष 2025–26 एवं इसके बाद के वर्षों में भी किया जाना है।

(च) समय–समय पर समीक्षोपरांत साफ–सफाई की दर में सक्षम स्तर से स्वीकृति के उपरांत संशोधन किया जा सकेगा।

(छ) योजना कार्यान्वयन हेतु दिशा–निर्देश अलग से ग्रामीण विकास विभाग द्वारा निर्गत किया जायेगा।

5. उपर्युक्त के आलोक में प्रखंड–सह–अंचल कार्यालयों एवं परिसर की साफ–सफाई बिहार ग्रामीण जीविकोपार्जन प्रोत्साहन समिति(जीविका) द्वारा संपोषित सामुदायिक संगठनों के माध्यम से किये जाने की स्वीकृति प्रदान की गयी है।

6. इस पर दिनांक 16.05.2025 को हुई राज्य मंत्रिपरिषद् की बैठक में मद संख्या–03 के अंतर्गत स्वीकृति प्राप्त है ।

आदेशः– आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को बिहार राजपत्र के असाधारण अंक में प्रकाशित किया जाय एवं इसकी प्रतिलिपि सरकार के विभागों एवं महालेखाकार, बिहार, पटना को सूचनार्थ भेजी जाय ।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

(लोकेश कुमार सिंह)
सरकार के सचिव

(

ज्ञापांकः– 4102756 पटना, दिनांकः– 20/05/2025
ग्रा0वि0–3 / स्था0–12–05 / 2024

प्रतिलिपिः– ई–गजट कोषांग, वित्त विभाग, बिहार, पटना को सी.डी. सहित प्रेषित।

अनुरोध है कि इस संकल्प को बिहार गजट के असाधारण अंक में प्रकाशित कर संकल्प की 500 प्रतियां उपलब्ध करा दी जाय ।

सरकार के सचिव
20/5/2025

ज्ञापांकः– 4102756 पटना, दिनांकः– 20/05/2025

प्रतिलिपिः– महालेखाकार, बिहार, वीरचन्द पटेल पथ, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

सरकार के सचिव
20/5/2025

ज्ञापांकः– 4102756 पटना, दिनांकः– 20/05/2025

प्रतिलिपिः– राज्यपाल के प्रधान सचिव/ मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव/ मुख्य सचिव, बिहार/विकास आयुक्त, बिहार/ अध्यक्ष –सह–सदस्य, राजस्व पर्षद, बिहार/ सभी विभागीय अपर मुख्य सचिव/ प्रधान सचिव/ सचिव/सभी विभागाध्यक्ष/सभी प्रमंडलीय आयुक्त/सभी जिला पदाधिकारी/सभी उप विकास आयुक्त, बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

सरकार के सचिव
20/5/2025

ज्ञापांकः– 4102756 पटना, दिनांकः– 20/05/2025

प्रतिलिपिः– मंत्री, ग्रामीण विकास विभाग के आप्त सचिव/सभी पदाधिकारी, ग्रामीण विकास विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

सरकार के सचिव
20/5/2025

ज्ञापांकः– 4102756 पटना, दिनांकः– 20/05/2025

प्रतिलिपिः– आई0टी0 मैनेजर, ग्रामीण विकास विभाग, बिहार, पटना को (विभागीय वेबसाईट पर प्रकाशनार्थ) सूचनार्थ प्रेषित।

सरकार के सचिव
20/5/2025